5405(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत क्षेत्राधीन नाबार्ड योजना अन्तर्गत माड़ीपुर पावर हाउस से सकरी (एन0एच0–77) 0.00 से 9.50 कि0मी0 पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–358(अनु0) दिनांक–29.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत क्षेत्राधीन नाबार्ड योजना अन्तर्गत माड़ीपुर पावर हाउस से सकरी (एन0एच0–77) 0.00 से 9.50 कि0मी0 पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13
2.2	एकरारनामा संख्या	:	24 SBD/2012-13
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹19,12,93,549.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	31.01.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	30.07.2014
2.7	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	:	04.07.2016
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	04.07.2016

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **माओवादी के कारण विलंब** – संवेदक के अन्य कार्यस्थल पर माओवादियों द्वारा दिनांक–03.04.2013 को उनके सड़क निर्माण के मशीनरी को जला दिया गया, जिसकी FIR दिनांक–04.04.2013 को साहेबगंज थाना, मुजफ्फरपुर को की गई थी। संवेदक द्वारा यह भी सूचित किया गया कि पथ में मशीनरी जलाने एवं धमकाने के कारण मजदुरों तथा कर्मियों में भय व्याप्त हो गया जिसका प्रभाव कार्य पर पड़ा एवं कार्य की प्रगति बाधित हो गई।

15.7.19

उपरोक्त के कारण इस मद में कुल–30 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

(ii) **इलेक्ट्रीक पोल शिफटिंग के कारण विलंब (पूरक एकरारनामा)** –

(क) संवेदक द्वारा सूचित किया गया है, कि कार्य का मूल एकरारनामा दिनांक–31.01.2013 को संपादित किया गया। कार्य के दौरान इलेक्ट्रिक पोल शिफटिंग का कार्य मूल एकरारनामा में शामिल नहीं था। दिनांक–29.10.2013 को इलेक्ट्रिक पोल शिफटिंग का पूरक एकरारनामा किया गया। मूल एकरारनामा में उपरोक्त कार्य शामिल नहीं होने के कारण संवेदक को उक्त कार्य को सम्पन्न कराने के लिए 5 माह (150 दिन) का समय पूरक एकरारनामा में दिया गया था।

(ख) इलेक्ट्रीक पोल का एकरारनामा होने तक मूल कार्य की प्रगति बाधित रहा। जिसके कारण संवेदक द्वारा 271 दिनों का अवधि विसतार का अनुरोध किया गया।

कार्यपालक अभियंता द्वारा पूरक एकरारनामा हेतु 05 माह (150 दिन) तथा कार्य में बाधा हेतु 90 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iii) **इलेक्ट्रीक पोल शिफटिंग के अवरोध के कारण विलंब** – इलेक्ट्रीक पोल शिफटिंग का Supplementary Agreement दिनांक–29.10.2013 को करने के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य के दौरान विद्युत विभाग द्वारा ससमय शट डाउन नहीं मिलने के कारण कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती थी। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी उनके पत्रांक–23.01.2015 तथा अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–54 दिनांक–13.01.2016 द्वारा भी विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति अंचल, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, मुजफ्फरपुर तथा एस्सेल विद्युत वितरण लि0 से शट डाउन हेतु लगातार पत्राचार किया गया। संवेदक द्वारा यह भी सूचित किया गया था, कि पथ में पड़ने वाले विद्युत पोल हटाने एवं पुराने तार को खोलने में ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके पत्रांक–847 दिनांक–28.05.2014 द्वारा इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, मुहफ्फरपुर को भी दी गई थी।

संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण कुल 595 दिनों का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है। जिसमें कार्यपालकक अभियंता द्वारा 285 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iv) **वर्णित कार्य के अवधि में Non-working Period का समाहित नहीं होना** – विषयांकित कार्य में करीब तीन Non-working Period पड़ता है, यथा दिनांक–15.07.2013 से 15.09.2013, दिनांक–15.07.2014 से 15.09.2014 तथा दिनांक–15.07.2015 से 15.09.2015.

संवेदक द्वारा Non-working Period हेतु कुल 270 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा तीन अवधि हेतु कुल 90 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(v) **WMM/GSB का कार्य हेतु शेखपुरा खदान बंद होने के कारण कार्य बाधित** – विषयांकित कार्य में WMM/GSB के कार्य हेतु मटेरियल शेखपुरा खदान से लाने का प्रावधान था। शेखपुरा खदान से आपूर्ति बाधित होने के कारण विभागीय पत्रांक–5390(E) दिनांक–27.08.2013 के द्वारा WMM/GSB की सामग्री राज्य के बाहर निकटतम खदान से आपूर्ति लेने की अनुमति निर्गत किया गया।

उपरोक्त के कारण संवदेक द्वारा कुल 208 दिनों का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। Overlapping period होने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा शून्य दिनों की अनुशंसा की गई है।

15.7.19

(vi) **मूल कार्य के अतिरिक्त Paver Block का कार्य (पूरक एकरारनामा)** – मूल एकरारमाना में Paver block का कार्य का प्रावधान नहीं था। विभाग के द्वारा पूरक एकरारनामा दिनांक–16.06.2016 को संपादित किया गया। पूरक एकरारनामा में वर्णित कार्य को संपादित कराने हेतु संवेदक को दो माह (60 दिनों) का समयवधि दी गई है। संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्य की स्वीकृति में 42 दिन तथा कार्य पूर्ण करने में 18 दिन अर्थात् कुल 60 दिन का समय लगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के अनुरोध एवं पूरक एकरारनामा के अनुरूप 60 दिन अवधि विस्तार की अनुशंसा इस मद में किया गया हे।

अतः उपरोक्त के आलोक में एवं दो पूरक एकरारनामा संपादित होने के कारण कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 705 दिनों के अवधि विस्तार अर्थात् दिनांक–04.07.2016 तक अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–04.07.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 **मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–358(अनु0) दिनांक--29.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत क्षेत्राधीन नाबार्ड योजना अन्तर्गत माड़ीपुर पावर हाउस से सकरी (एन0एच0–77) 0.00 से 9.50 कि0मी0 पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 (एकरारनामा संख्या–24 SBD/2012-13) हेतु दिनांक–04.07.2016 तक SBD के Clause-10 CA के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थात विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तद्नुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।**

5.2 **विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।**

15/07/19
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव–सह–आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–43/2019 5405(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अचंल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।